-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 27.07.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **अवैध तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को थाना कमासिन पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने वाछिंत अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा अवैध शस्त्रों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थाना कमासिन पुलिस द्वारा तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद हुआ है। गौरतलब हो कि दिनांक 26.07.2026 को ग्राम बन्थरी थाना कमासिन के रहने वाले रज्जू द्वारा सूचना दी गई कि गांव के ही एक व्यक्ति द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर अवैध तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त को ग्राम बन्थरी के बाहर मंदिर के पास से गिरफ्तार किया गया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए।

बरामदगी-

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर
- 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. रामसिया पुत्र मलवा निवासी बन्थरी थाना कमासिन जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 205/26 धारा 352/351(3) तथा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कमासिन जनपद बांदा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री जाबिर अली थाना कमासिन
2. हे0कां0 सत्येनद्र कुमार
3. हे0कां0 लक्ष्मीकांत
4. हे0कां0 सुखदेव दिवाकर
5. म0कां0 ममता गुप्ता